JETIR.ORG ISSN: 2349-5162 | ESTD Year : 2014 | Monthly Issue
JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES AND INNOVATIVE RESEARCH (JETIR)
An International Scholarly Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

कृषि श्रम में महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियाँ – एक व्यापक विश्लेषण

चंदन कुमार
शोध छात्र, विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभाग, ति.मां भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर

सारः कृषि न केवल बिहार बल्कि पूरे देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। यह एक पारिवारिक उद्यम है जो ग्रामीण विकास और गरीबी में कमी का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बिहार की आर्थिक सुरक्षा और रोजगार के लिए कृषि पर बहुत अधिक निर्भर है। यह ग्रामीणों खासकर ग्रामीण महिलाओं के लिए आय एवं रोजगार का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। भारत में महिलाएं समाज की रीढ़ हैं और कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण संसाधन मानी जाती हैं। कृषि में महिलाओं की बहु–आयामी भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि वे हर कृषि संचालन में योगदान करते हैं, जो फसलों की कटाई, बुवाई, मवेशी प्रबंधन, डेयरी, मधुमक्खी पालन, बकरी के पालन–पोषण और पोल्ट्री आदि जैसे संबद्ध क्षेत्रों में भी सक्रिय हैं। महिलाएं पारंपरिक रूप से बीज से रसोई तक भोजन के उत्पादक रहे हैं। कृषि परिदृश्य के बीच, एक चिंताजनक मुद्दा काफी हद तक अनसुलझा है – कृषि श्रम में महिलाओं की समस्या। लैंगिक भेदभाव के कारण, अपने काम के लिए कम रिटर्न प्राप्त करते हैं। जबकि महिलाओं की कई भूमिका उत्पादक प्रणाली में वास्तविक रूप से महत्वपूर्ण होती है। लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उसकी भूमिका पर्याप्त रूप से मान्यता प्राप्त नहीं है और ठीक से उसके योगदान को पुरुष–वर्चस्व वाले समाज में महत्व नहीं दिया जाता है। बिहार, भारत के सबसे अधिक आबादी वाले तथा सबसे पिछड़े राज्यों में से एक, प्राथमिक व्यवसाय के रूप में कृषि पर बहुत अधिक निर्भर करता है। बिहार में महिलाएं कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, श्रम शक्ति और समग्र कृषि उत्पादन में योगदान देती हैं। हालाँकि, उन्हें कई चुनौतियों और बाधाओं का सामना करना पड़ता है जो उनके सशक्तिकरण और सामाजिक–आर्थिक प्रगति में बाधा बनती हैं। इस लेख का उद्देश्य बिहार में कृषि श्रम में महिलाओं के सामने आने वाली समस्याओं और महिला खेतिहर मजदूरों की कुछ प्रमुख मुद्दों पर प्रकाश डालना है।

मुख्य शब्दः कृषि श्रम, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, लैंगिक भेदभाव, महिला खेतिहर मजदूर, असमानता।

परिचय

कृषि न केवल बिहार बल्कि पूरे देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। यह एक पारिवारिक उद्यम है जो ग्रामीण विकास और गरीबी में कमी का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बिहार की आर्थिक सुरक्षा और रोजगार के लिए कृषि पर बहुत अधिक निर्भर है। यह ग्रामीणों खासकर ग्रामीण महिलाओं के लिए आय एवं रोजगार का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। मीना व अन्य (2017, 2018) ने कहा है कि महिलायें परिवार की आय सृजन में पर्याप्त रूप से योगदान करते हैं। इन गतिविधियों में कृषि फसल का उत्पादन करना, जानवरों की सफाई करना, भोजन तैयार करना, ग्रामीण उद्यमों में काम करना, व्यापार और विपणन में संलग्न होना, परिवार के सदस्यों की देखभाल करना और अपने घरों को बनाए रखना शामिल है। आय और इसके स्रोत घरों के जीवन स्तर और उस स्तर को प्राप्त करने के तरीकों के स्तर को समझने के लिए महत्वपूर्ण उपाय हैं। घरों के खर्च और संपत्ति के साथ आय में अस्थिरता के पहलुओं को प्रकट करती है और असमानता का एक अतिरिक्त उपाय प्रदान करती है।

सर्वविदित है कि भारत सहित बिहार में महिलाएं समाज की रीढ़ हैं और कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण संसाधन हैं। सिंह व अन्य (2012) के अनुसार, महिलाएं अपने योगदान घरेलू और कृषि गतिविधियों के माध्यम से अर्थव्यवस्था के सतत विकास में बहुआयामी भूमिका निभाती हैं। वे कृषि विकास और संबद्ध तथा घरेलू गतिविधियों में आवश्यक योगदान देने के साथ कई आजीविका रणनीतियों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी निभाती हैं। वे कृषि के प्रत्येक क्षेत्र में योगदान करते हैं– भूमि की तैयारी से लेकर फसलों की कटाई तक। इसके अलावा, वे डेयरी मवेशी, चारा संग्रह, मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन, बकरी के पालन–पोषण और मुर्गी आदि जैसी संबद्ध गतिविधियों का प्रबंधन करते हैं।

वर्तमान परिदृश्य में महिलाएं मैनुअल फार्म गतिविधियों में बल्कि कृषि–प्रसंस्करण से लेकर होममेकिंग तक पारंपरिक खेती में प्रमुख भूमिका निभाती हैं। (मजुमदार और शाह 2017) शाही व अन्य (2018) के अनुसार विभिन्न अवसरों पर, महिलाओं ने साबित किया है कि वे आधुनिक खेत के औजारों का उपयोग करके खेत के आधुनिकीकरण को आगे बढ़ा सकते हैं, हालांकि योगदान कम मान्यता प्राप्त है। लैंगिक समानता के युग में और समाज के सभी दौर में महिला सशक्तिकरण पर जोर देने से इनकार नहीं किया जा सकता है। परिवार के लिए महिला बलिदान अतुलनीय हैं। इसलिए, वे

दुनिया के किसी भी हिस्से की तुलना में सभी पहलुओं में सबसे अधिक पीड़ित हैं। वर्तमान जांच बिहार राज्य में कृषि श्रम में लगी महिलाओं के सामने आने वाली समस्याओं की गहराई से पड़ताल करना है।

बिहार में कृषि श्रम में महिलाओं की हिस्सेदारी

कृषि श्रम में महिलाओं की भागीदारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू है। पूर्वी भारत के राज्य बिहार में कृषि गतिविधियों में महिलाओं का योगदान महत्वपूर्ण है। तालिका 1 बिहार में कृषि श्रम में महिलाओं की हिस्सेदारी को प्रस्तुत करता है, जो इस क्षेत्र में उनकी भागीदारी की व्यापक समझ प्रदान करता है।

तालिका 1: बिहार में कृषि श्रम में महिलाओं की हिस्सेदारी (%)

गतिविधि	महिला (%)	पुरुष (%)
खेती	15.7	84.3
बुआई/रोपाई	45.6	54.4
सिंचाई	14.3	85.7
निराई–गुड़ाई	61.2	38.8
कटाई	39.8	60.2
थ्रेसिंग	55.1	44.9
विनोइंग/सफाई/पीसना	78.6	21.4
पैकिंग/परिवहन/बाजार	41.6	58.4

संदर्भ: राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएस) 70वां दौर (2013–14), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएस) के आंकड़े बिहार में विभिन्न कृषि गतिविधियों के भीतर लिंग वितरण में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह स्पष्ट है कि कृषि श्रम में लिंग भूमिकाएँ विविध हैं और विभिन्न कार्यों में भिन्न–भिन्न हैं। आंकड़े बिहार में विभिन्न कृषि गतिविधियों में भागीदारी में लैंगिक असमानताओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है। तालिका से पुरुष और महिला की भागीदारी के अलग–अलग पैटर्न का पता चलता है। आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि कृषि श्रम में महिलाओं की भागीदारी विभिन्न गतिविधियों में भिन्न–भिन्न है। खेती और सिंचाई में मुख्य रूप से पुरुषों की भागीदारी होती है, जिसका प्रतिशत 80% से अधिक है। दूसरी ओर, विनोइंग/सफाई/पीसने, निराई–गुड़ाई, मड़ाई और बुआई/रोपाई जैसी गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी अधिक है, जो 45% से 78% तक है। कटाई और पैकिंग/परिवहन/बाजार में पुरुषों और महिलाओं के बीच अपेक्षाकृत संतुलित भागीदारी प्रदर्शित होती है।

कृषि श्रम में महिलाओं के वितरण को समझना नीति निर्माण और हस्तक्षेप के लिए आवश्यक है जो लैंगिक असमानताओं को संबोधित करता है, महिला सशक्तिकरण को बढ़ाता है और सतत कृषि विकास को बढ़ावा देता है। विभिन्न कृषि गतिविधियों में महिलाओं के सामने आने वाली विशिष्ट चुनौतियों को पहचानकर और उनका समाधान करके, बिहार लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी ढंग से रणनीति तैयार कर सकता है। कृषि क्षेत्र में महिलाओं और पुरुषों दोनों के विशिष्ट योगदान और चुनौतियों को पहचानकर और उनका समर्थन करके, बिहार एक अधिक संतुलित और समृद्ध कृषि क्षेत्र को बढ़ावा दे सकता है।

बिहार में महिला कृषि श्रम की समस्यायें

1. संसाधनों तक सीमित पहुंच: बिहार के कृषि क्षेत्र में महिलाओं के सामने आने वाली बड़ी बाधाओं में से एक भूमि और संसाधनों तक सीमित पहुंच है जो कृषि उत्पादकता को प्रभावित करता है। इसमें भूमि, ऋण, आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकियां और बीज और उर्वरक जैसे इनपुट शामिल हैं। बिहार की कृषि श्रम शक्ति में महिलाओं के लिए भूमि तक सीमित पहुंच एक बुनियादी मुद्दा के साथ प्राथमिक चुनौतियों में से एक है। पारंपरिक पितृसत्तात्मक मानदंड और भेदभावपूर्ण भूमि वितरण प्रथाएं अक्सर महिलाओं को भूमि का स्वामित्व या विरासत प्राप्त करने से रोकती हैं। कई मामलों में, गहरी जड़ें जमा चुके सामाजिक मानदंडों और पुरुष उत्तराधिकारियों के पक्ष में विरासत कानूनों के कारण महिलाओं को भूमि के स्वामित्व से बाहर रखा जाता है। भूमि स्वामित्व के बिना, महिलाओं का कृषि संबंधी निर्णय लेने पर बहुत कम नियंत्रण रह जाता है और वे बीज, उर्वरक और मशीनरी जैसे संसाधनों तक पहुंच के लिए परिवार के पुरुष सदस्यों पर निर्भर रहती हैं। परिणामस्वरूप, उन्हें खेतिहर मजदूर के रूप में काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जहां उन्हें शोषणकारी कामकाजी परिस्थितियों और कम मजदूरी का सामना करना पड़ता है। बिहार में अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान (आईएफपीआरआई) द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार, महिलाओं को भूमि स्वामित्व और नियंत्रण में काफी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। अध्ययन से पता चलता है कि बिहार में केवल 13% महिलाओं के पास कृषि भूमि पर स्वामित्व अधिकार है, जबकि अधिकांश को प्रचलित लिंग मानदंडों और विरासत कानूनों (आईएफपीआरआई, 2019) के कारण बाहर रखा गया है। एक्शनएड इंडिया द्वारा किए गए अध्ययन भी बताता है कि बिहार में केवल 13% महिलाओं के पास भूमि स्वामित्व का अधिकार है, जबकि शेष 87% को लिंग–आधारित विरासत कानूनों और सामाजिक मानदंडों के कारण भूमि स्वामित्व से बाहर रखा गया है। (एक्शनएड इंडिया, 2018) राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस–4) के अनुसार भी बिहार में केवल 13.4% महिलाओं के पास कृषि भूमि का स्वामित्व या नियंत्रण है। भूमि और संसाधनों तक यह सीमित पहुंच महिलाओं को कृषि संबंधी निर्णय लेने की शक्ति से वंचित करती है और बीज, उर्वरक और मशीनरी जैसे संसाधनों तक उनकी पहुंच को प्रतिबंधित करती है।

कृषि विभाग, बिहार सरकार द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार, 2021 में 33% पुरुषों की तुलना में केवल 11% महिलाओं की कृषि ऋण तक पहुंच है। यह असमानता महिलाओं की कृषि में निवेश करने और उनकी आजीविका में सुधार करने की क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है।

तालिका 2: बिहार में लिंग के आधार पर कृषि ऋण तक पहुंच

वर्ष	महिला (%)	पुरुष (%)
2019	12	35
2020	9	31
2021	11	33

स्रोत: कृषि विभाग, बिहार सरकार

2. लैंगिक वेतन अंतर और शोषण: बिहार में महिला खेतिहर मजदूरों के सामने एक और गंभीर मुद्दा लैंगिक वेतन अंतर और शोषण है। कृषि उत्पादन में समान योगदान के बावजूद, समान कार्य करने के लिए महिलाओं को अक्सर अपने पुरुष समकक्षों की तुलना में कम वेतन मिलता है। यह वेतन असमानता कृषि श्रम में लगी महिलाओं के लिए गरीबी और आर्थिक भेद्यता के चक्र को और बढ़ा देती है और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करता है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएस) के आंकड़े बिहार के कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण लिंग वेतन अंतर के अस्तित्व पर प्रकाश डालते हैं। औसतन, बिहार में महिलाएं समान कृषि कार्य करने के लिए अपने पुरुष समकक्षों की तुलना में लगभग 35–45% कम कमाती हैं। (एनएसएसओ, 2019) जबकि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के वार्षिक रोजगार और बेरोजगारी सर्वेक्षण (2018–19) से पता चलता है कि जहां पुरुषों का औसत वेतन 300 रुपये है वहीं महिलाओं का औसत वेतन 180–210 रुपये ही है। जो औसतन, महिलाएं समान कृषि कार्य के लिए पुरुषों की मजदूरी का केवल 60–70% ही कमाती हैं। (सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, 2019) इसी प्रकार सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल स्टडीज द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार, बिहार में महिला कृषि मजदूरों के लिए औसत दैनिक वेतन 200 रुपये है, जबकि पुरुष समान काम के लिए 250 रुपये हैं।

तालिका 3: बिहार में कृषि श्रमिकों के लिए औसत दैनिक वेतन (रुपये में)

वर्ष	महिला	पुरुष
2019	190	240
2020	195	245
2021	200	250

स्रोत: आर्थिक और सामाजिक अध्ययन केंद्र

यह वेतन असमानता न केवल लैंगिक असमानता को कायम रखती है बल्कि कृषि श्रम में लगी महिलाओं के लिए गरीबी के चक्र को भी गहरा करती है।

3. **बिहार में महिला कृषि मजदूरों के लिए रोजगार का संकट:** बिहार में महिला कृषि मजदूरों को वर्तमान में रोजगार के गंभीर संकट का सामना करना पड़ रहा है, जो उनकी आजीविका और समग्र आर्थिक कल्याण पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। तालिका 4 बिहार में कृषि क्षेत्र में महिलाओं के सामने आने वाली रोजगार चुनौतियों पर प्रकाश डालता है।

तालिका 4: बिहार में कृषि में महिलाओं की रोजगार स्थिति

वर्ष	नियोजित (%)	बेरोजगार (%)
2018	70	30
2019	68	32
2020	64	36

संदर्भ: बिहार में रोजगार और बेरोजगारी पर वार्षिक रिपोर्ट (2020–2021), श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार।

आंकड़ों से बिहार में महिला कृषि मजदूरों के बीच रोजगार संकट की चिंताजनक प्रवृत्ति का पता चलता है। पिछले कुछ वर्षों में, इस क्षेत्र में बेरोजगार महिलाओं के प्रतिशत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जबकि नियोजित महिलाओं के प्रतिशत में गिरावट आई है। 2020 में कृषि क्षेत्र में केवल 64% महिलाएं कार्यरत थीं, जबकि 36% बेरोजगार रहीं। यह पिछले वर्षों की तुलना में महिलाओं के लिए रोजगार के अवसरों में गिरावट को दर्शाता है। 2019 में नौकरीपेशा महिलाओं का प्रतिशत 68% था, जबकि 2018 में यह 70% था।

कृषि में महिलाओं के लिए रोजगार के संकट के दूरगामी प्रभाव हैं, जिनमें बढ़ती गरीबी, कम आर्थिक सशक्तिकरण और संसाधनों और अवसरों तक सीमित पहुंच शामिल है। इस मुद्दे के समाधान के लिए बिहार में कृषि क्षेत्र में महिलाओं के समावेश और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए लक्षित हस्तक्षेप, नीतिगत सुधार और प्रयासों की आवश्यकता है। महिला कृषि मजदूरों के सामने आने वाली रोजगार चुनौतियों को पहचानकर और उन्हें संबोधित करने के उपायों को लागू करके, बिहार महिलाओं की आर्थिक भागीदारी के लिए अनुकूल माहौल बना सकता है, जिससे अंततः स्थायी कृषि विकास और ग्रामीण समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा।

4. शिक्षा और कौशल विकास प्रशिक्षण का अभाव: बिहार में कृषि श्रम में लगी महिलाओं की एक बड़ी संख्या के पास शिक्षा और कौशल विकास प्रशिक्षण के अवसरों तक सीमित पहुंच है। ज्ञान और प्रशिक्षण की कमी आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने, टिकाऊ कृषि पद्धतियों को लागू करने और उनकी उत्पादकता को अधिकतम करने की उनकी क्षमता को सीमित करती है। इसके अलावा, साक्षरता और संख्यात्मक कौशल की अनुपस्थिति महिलाओं के लिए वित्तीय सेवाओं

और बाजार की जानकारी तक पहुंच को चुनौतीपूर्ण बना देती है। इस प्रकार कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और आय सृजन बढ़ाने के लिए कौशल विकास महत्वपूर्ण है। हालाँकि, बिहार में महिलाओं को कौशल विकास कार्यक्रमों और प्रशिक्षण के अवसरों तक सीमित पहुंच का सामना करना पड़ता है। इससे आधुनिक कृषि तकनीकों, टिकाऊ प्रथाओं और प्रौद्योगिकी के उपयोग को सीखने के सीमित अवसर उनकी उत्पादकता में बाधा डालते हैं और बदलती कृषि गतिशीलता के अनुकूल होने की उनकी क्षमता को बाधित करते हैं। उचित प्रशिक्षण के बिना, महिलाएं पारंपरिक खेती के तरीकों तक ही सीमित रहती हैं, जिससे विकास और बेहतर आजीविका की उनकी क्षमता सीमित हो जाती है। अंततः आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने और उनकी आय के स्रोतों में विविधता लाने की उनकी क्षमता बाधित होती है। बिहार मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में केवल लगभग 7% महिलाओं को किसी भी प्रकार का कृषि प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है। (बिहार एचडीआर, 2020) बिहार राज्य कृषि विश्वविद्यालय के एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि बिहार में केवल 25% महिला कृषि मजदूरों को कोई औपचारिक कृषि प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है।

तालिका 5: औपचारिक कृषि प्रशिक्षण प्राप्त महिला कृषि श्रमिकों का प्रतिशत

वर्ष	महिला
2019	27
2020	23
2021	25

स्रोत: बिहार राज्य कृषि विश्वविद्यालय

5. वित्तीय सेवाओं तक सीमित पहुंच: कृषि विकास और महिला सशक्तिकरण के लिए क्रेडिट और ऋण जैसी वित्तीय सेवाओं तक पहुंच महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्य से, बिहार में महिलाओं को अशिक्षा, जानकारी की कमी और भेदभावपूर्ण प्रथाओं जैसी विभिन्न बाधाओं के कारण औपचारिक वित्तीय संस्थानों तक पहुंचने ने अक्सर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इससे खेती की बेहतर तकनीकों, उपकरणों और विविधीकरण में निवेश करने की उनकी क्षमता सीमित हो जाती है, जिससे गरीबी और निर्भरता का चक्र कायम हो जाता है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड, 2018) के अनुसार बिहार में महिला किसानों के केवल एक छोटे से हिस्से के पास कृषि ऋण तक पहुंच है। सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज (सीएसडीएस) के एक अध्ययन के अनुसार, ग्रामीण बिहार में केवल 9% महिलाओं ने कभी औपचारिक स्रोत से ऋण लिया है। (सीएसडीएस, 2021) वित्त तक यह सीमित पहुंच उन्नत कृषि तकनीकों में निवेश करने की उनकी क्षमता को प्रतिबंधित करती है।

6. अपर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल और सुरक्षा उपाय: कृषि क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं को उचित सुरक्षा उपायों के बिना अक्सर खतरनाक कामकाजी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। उन्हें विभिन्न व्यावसायिक जोखिमों का सामना करना पड़ता है, जिनमें कीटनाशकों का जोखिम, भारी सामान उठाना और लंबे समय तक काम करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, सुलभ स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी और अपर्याप्त प्रजनन स्वास्थ्य सेवाएं उनकी भेद्यता और कल्याण को और बढ़ा देती हैं।

7. सामाजिक–सांस्कृतिक बाधाएँ और लैंगिक भेदभाव: गहरी जड़ें जमा चुकी सामाजिक–सांस्कृतिक बाधाएं और लैंगिक भेदभाव कृषि श्रम में महिलाओं के सशक्तिकरण में बाधा बने हुए हैं। महिलाओं को निर्णय लेने की प्रक्रियाओं, गतिशीलता और बाज़ार पहुंच में सीमाओं का सामना करना पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान (आईएफपीआरआई, 2015) के एक अध्ययन के अनुसार, बिहार में कृषि गतिविधियों से संबंधित निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में महिलाओं की भागीदारी सीमित है। कार्यस्थल पर उन्हें उत्पीड़न, मौखिक दुर्व्यवहार और यहां तक कि शारीरिक हिंसा का भी सामना करना पड़ता है। सांस्कृतिक मान्यताएं, भेदभावपूर्ण प्रथाएं और प्रतिबंधित गतिशीलता बाजारों, विस्तार सेवाओं और नए अवसरों तक उनकी पहुंच में बाधा डालती है, जिससे उनकी सामाजिक–आर्थिक उन्नति बाधित होती है। प्रचलित पितृसत्तात्मक मानसिकता और जागरूकता की कमी ऐसे व्यवहार को सामान्य बनाने में योगदान करती है, जिससे महिलाओं के लिए घटनाओं की रिपोर्ट करना या न्याय मांगना मुश्किल हो जाता है। इन बाधाओं पर काबू पाने के लिए बिहार समाज में प्रचलित सांस्कृतिक मान्यताओं और भेदभावपूर्ण प्रथाओं को संबोधित करने की आवश्यकता है।

8. बिहार में महिला कृषि श्रमिकों के खिलाफ हिंसा: बिहार में महिला कृषि मजदूरों के खिलाफ हिंसा एक गंभीर मुद्दा है जो उनकी सुरक्षा, कल्याण और समग्र सशक्तिकरण में बाधा डालती है। बिहार में कृषि क्षेत्र में महिलाओं द्वारा आमतौर पर अनुभव की जाने वाली हिंसा के प्रकार निम्नवत है :

शारीरिक हिंसा: महिला कृषि मजदूरों को शारीरिक हिंसा का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें नियोक्ताओं, सहकर्मियों या उनके समुदायों के व्यक्तियों द्वारा हमला, पिटाई या शारीरिक क्षति शामिल है।

यौन हिंसा: कृषि श्रम बल में महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा, जैसे यौन उत्पीड़न, उत्पीड़न या बलात्कार की घटनाएं हो सकती हैं। इसे नियोक्ताओं, सहकर्मियों या सत्ता के पदों पर बैठे अन्य लोगों द्वारा अंजाम दिया जा सकता है।

भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक हिंसा: महिलाओं को भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक हिंसा का अनुभव हो सकता है, जिसमें मौखिक दुर्व्यवहार, धमकी, अपमान या अलगाव शामिल है, जो उनके मानसिक स्वास्थ्य और समग्र कल्याण को प्रभावित करता है।

भेदभाव और उत्पीड़न: कृषि क्षेत्र में काम करते समय महिलाओं को उनके लिंग के आधार पर भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करना पड़ सकता है। इसमें अनुचित व्यवहार, असमान वेतन, अवसरों से इनकार और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं से बहिष्कार शामिल हो सकता है।

सामाजिक कलंक और सांस्कृतिक बाधाएँ: बिहार में महिला खेतिहर मजदूरों को सामाजिक कलंक और सांस्कृतिक बाधाओं का भी सामना करना पड़ सकता है जो उन्हें हिंसा की घटनाओं की रिपोर्ट करने या डर, सामाजिक दबाव या अपने अधिकारों के बारे में जागरूकता की कमी के कारण सहायता मांगने से रोकते हैं।

कृषि क्षेत्र में महिलाओं के खिलाफ हिंसा को संबोधित करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें शामिल हैं:

- महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने और अपराधियों को जवाबदेह ठहराया जाना सुनिश्चित करने के लिए कानूनी ढांचे और प्रवर्तन तंत्र को मजबूत करना।
- महिलाओं, पुरुषों और समुदायों को लैंगिक समानता, महिलाओं के अधिकारों और हिंसा के हानिकारक प्रभावों के बारे में शिक्षित करने के लिए जागरूकता अभियान और संवेदीकरण कार्यक्रमों को बढ़ावा देना।
- महिलाओं को हिंसा की घटनाओं की रिपोर्ट करने और सहायता मांगने के लिए हेल्पलाइन, परामर्श और सुरक्षित स्थान जैसी सहायता सेवाएँ प्रदान करना।
- कौशल विकास कार्यक्रमों, संसाधनों तक पहुंच और आर्थिक अवसरों के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाना जो उन्हें अधिक एजेंसी और स्वतंत्रता प्रदान करने में सक्षम बनाता है।
- हिंसा के अंतर्निहित कारणों को संबोधित करने और प्रभावी हस्तक्षेप लागू करने के लिए सरकारी एजेंसियों, नागरिक समाज संगठनों और अन्य हितधारकों के बीच सहयोग।

बिहार में महिला खेतिहर मजदूरों की कुछ प्रमुख मुद्दे

बिहार में महिला खेतिहर मजदूरों ने अपने सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने और अपनी कामकाजी परिस्थितियों में सुधार के लिए विभिन्न मांगें उठाई हैं। यहां बिहार में महिला खेतिहर मजदूरों द्वारा उठाए गए कुछ सामान्य मुद्दे दिये गये हैं:

1. समान वेतन और उचित वेतनः महिला कृषि मजदूरों को अक्सर वेतन भेदभाव का सामना करना पड़ता है और समान काम के लिए उन्हें अपने पुरुष समकक्षों की तुलना में कम वेतन दिया जाता है। वे समान वेतन और उचित वेतन की मांग करते हैं जो उनके योगदान और कौशल को दर्शाता है।

2. भूमि और संसाधनों तक पहुंचः बिहार में महिलाओं को अक्सर कृषि भूमि, ऋण, आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकियों और बीज और उर्वरक जैसे इनपुट तक सीमित पहुंच का सामना करना पड़ता है। वे कृषि उत्पादकता के लिए आवश्यक भूमि अधिकारों और संसाधनों तक समान पहुंच की मांग करते हैं।

3. शिक्षा और कौशल विकास प्रशिक्षणः महिला कृषि मजदूर अपने कृषि ज्ञान को बढ़ाने, आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने और अपने आय स्रोतों में विविधता लाने के लिए कौशल विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अवसर तलाशती हैं।

4. सामाजिक सुरक्षा और कल्याणः कृषि में महिला मजदूर अपनी भलाई और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य देखभाल, बीमा कवरेज, मातृत्व लाभ और पेंशन योजनाओं तक पहुंच जैसे सामाजिक सुरक्षा उपायों की मांग करती हैं।

5. हिंसा और उत्पीड़न से सुरक्षाः महिला खेतिहर मजदूर कार्यस्थल पर हिंसा, उत्पीड़न और शोषण से बचाने के उपायों की वकालत करती हैं। वे लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ कानूनों को सख्ती से लागू करने और ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट करने और प्रभावी ढंग से संबोधित करने के तंत्र की मांग करते हैं।

6. प्रतिनिधित्व और भागीदारीः महिला खेतिहर मजदूर कृषि नीतियों, कार्यक्रमों और संगठनों सहित विभिन्न स्तरों पर निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में अधिक प्रतिनिधित्व और भागीदारी की मांग करते हैं।

7. बुनियादी सुविधाओं तक पहुंचः बिहार में महिला मजदूरों को अक्सर स्वच्छ पानी, स्वच्छता सुविधाओं और उचित आवास जैसी बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच की कमी होती है। वे अपने रहने और काम करने की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचे और सुविधाओं की मांग करते हैं।

ये मांगें बिहार में महिला कृषि मजदूरों के लिए लैंगिक समानता, सशक्तिकरण और बेहतर कामकाजी परिस्थितियों की आवश्यकता पर प्रकाश डालती हैं। इन मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है जिसमें नीतिगत सुधार, लक्षित हस्तक्षेप और सरकारी एजेंसियों, नागरिक समाज संगठनों और संबंधित हितधारकों के बीच सहयोग शामिल हो ताकि महिलाओं के अधिकारों और समान कृषि विकास के लिए एक सक्षम वातावरण तैयार किया जा सके।

निष्कर्ष

बिहार में कृषि श्रम में महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियाँ और समस्याएँ जटिल, बहुआयामी और महत्वपूर्ण हैं, जिनमें भूमि और संसाधनों तक सीमित पहुंच और लिंग आधारित वेतन असमानता, कौशल विकास और प्रशिक्षण की कमी, सीमित वित्तीय समावेशन और सामाजिक–सांस्कृतिक बाधाएं कृषि क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण में बाधा डालती हैं। साथ ही इसमें अपर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक कलंक भी शामिल हैं। इन मुद्दों को संबोधित करने और प्रभावी ढंग से समाधान के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण एवं हस्तक्षेप की आवश्यकता है जिसमें कानूनी सुधार, नीतिगत हस्तक्षेप, जागरूकता अभियान और सामाजिक सशक्तिकरण पहल की आवश्यकता है। महिलाओं के भूमि अधिकारों को बढ़ावा देना, समान वेतन सुनिश्चित करना, कौशल विकास कार्यक्रमों तक पहुंच प्रदान करना, वित्तीय समावेशन में सुधार करना और लिंग मानदंडों को चुनौती देना कृषि में महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में आवश्यक कदम हैं। महिलाओं के अधिकारों, शिक्षा और

कल्याण को प्राथमिकता देकर, बिहार कृषि में अपनी महिला कार्यबल की क्षमता का उपयोग कर सकता है, जिससे राज्य में सतत ग्रामीण विकास, बेहतर आजीविका, उत्पादकता में वृद्धि और लैंगिक समानता हो सकती है।

सन्दर्भः

अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान (2015). कृषि में महिला सशक्तिकरणः एक वैश्विक विश्लेषण।

आर्थिक और सामाजिक अध्ययन केंद्र (2021). कृषि क्षेत्र में वेतन भेदभावः बिहार का एक अध्ययन।

एक्शनएड इंडिया (2018). बिहार में महिला किसानों के भूमि अधिकारः एक अनुभवजन्य अध्ययन।

कृषि विभाग, बिहार (2021)। कृषि ऋण पर वार्षिक रिपोर्ट।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय (2020). कृषि शिक्षा एवं प्रशिक्षण.

बिहार राज्य कृषि विश्वविद्यालय (2021). बिहार में महिला कृषि श्रमिकों के लिए कौशल विकास के अवसरों पर सर्वेक्षण।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (2018). बिहार में कृषि ऋण और माइक्रोफाइनेंस।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (2019). भारत में रोजगार और बेरोजगारी के प्रमुख संकेतक।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस–4). (2015–16). बिहार राज्य तथ्य पत्रक।

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (2019). वार्षिक रोजगार एवं बेरोजगारी सर्वेक्षण (2018–19)।

मजुमदार जॉयदीप और शाह, प्रियंका 2017. भारतीय कृषि में महिलाओं की भूमिका का मानचित्रण। एनल्स ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल प्रैक्टिस 4(2):46–54

मीना, एम.एस.; सिंह, के.एम.; सिंह, आर.के.पी.; कुमार, अंजनी; कुमार, अभय और चहल, वी.पी. (2017). झारखंड के आदिवासी वर्चस्व वाले क्षेत्रों में ग्रामीण घरों में आय के असमानता और निर्धारक, भारतीय कृषि विज्ञान जर्नल 87(1):92–96।

मीना, एम.एस.; सिंह, के.एम. और मीना, एच.एम. (जुलाई–अगस्त 2018). पूर्वी भारत में खेती की प्रथाओं को बदलने के लिए भागीदारी और धारणाः महिलाओं की अगुवाई वाले घरों का एक अध्ययन, नेशनल एकेडमी साइंस लेटर्स, 41(4):203–205। https://doi.org/10.1007/s40009-018-0656-8

शाही, वीना; शाही, ब्रजेश; सिंह, के.एम. और कुमारी, पूजा (2018). सूक्ष्म उद्यमिता विकास और महिला सशक्तिकरण के लिए मशरूम की खेती पर प्रभाव अध्ययन, जर्नल ऑफ फार्माकोग्नोसी और फाइटोकेमिस्ट्री, एसपी–4 01–04।

शाही, वीना; शाही, ब्रजेश; कुमार, विकास और सिंह, के.एम. (2018). खेत की महिलाओं की नशे में कमी के लिए छोटे निराई उपकरणों का प्रदर्शन मूल्यांकन और प्रभाव, जर्नल ऑफ फार्माकोग्नोसी और फाइटोकेमिस्ट्री, एसपी–4, 05–07।

सिंह, के.एम.; मीना, एमएस; कुमार, अभय और सिंह, आर.के.पी. (2013). कृषि में लिंग मुद्दों का अवलोकन। एसएसआरएन इलेक्ट्रॉनिक जर्नल 5(34), http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2237993

सिंह, आर.के.पी.; सिंह, के.एम. और झा, ए.के. (2012). बिहार में कृषि उत्पादकता और महिला सशक्तिकरण पर प्रवास का प्रभाव। Political Economy: International Political Economy e-Journal, **6**(109) http://doi.org/10.2139/ssrn.2111155 .